न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2024-253RAABarmer2024-157RTA223 Ruparam ors Vs Tejaram etc

01. रुपाराम पुत्र भलाराम,
02. अनाराम पुत्र भलाराम,
03. रामाराम पुत्र भलाराम,
04. वीरमाराम पुत्र भलाराम,
05. जेठाराम पुत्र भलाराम,

जातियान–जाट, निवासी–रामदेवरा, तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. तेजाराम पुत्र भलाराम, जाति–जाट, निवासी–रामदेवरा, तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा।
2. शाखा प्रबन्धक, S.B.I. सिणधरी।
3. श्रीमान तहसीलदार–सिणधरी, जिला–बालोतरा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 अगस्त 2024 सहायक कलक्टर सिणधरी राजस्व मूल वाद संख्या 29/2017 तेजा बनाम रूपा इत्यादि

उपस्थित–

श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री नारायण कुमावत अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक

नि र्ण य

दिनांक : 18 मार्च 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 29/2017 अनवान तेजा बनाम रूपा इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 अगस्त 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 10 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 132 रकबा 0.08 बीघा एवं खसरा नंबर 133 रकबा 113. 15 बीघा ग्राम रामदेवरा तहसील सिणधरी के संबंध में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2023 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अगस्त 2024 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

वहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा तलव विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सिणधरी द्वारा स्वयं मौके पर आये विना आर आई पायलां कलां के द्वारा तहसील कार्यालय में वैठ कर दिनांक–01–08–2024 को तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट्स को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है तथा न ही उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट्स के हस्ताक्षर है। भू–अभिलेख निरीक्षक ने विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त के विपरीत तैयार किया है, जिसमें वादी को अपने कब्जे काश्त से अलग जगह पर भूमि दी गई है और जहां पर वादी का रंग भरा गया है, उस स्थान पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट्स के आवागमन हेतु रास्ते का भी प्रावधान नहीं रखा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त नियम विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट्स को सुनवाई एवं आपत्तियॉ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना तथा रीडर द्वारा वादी से मिलीभगती करते हुए दिनांक 31.07.2024 में निर्णय पारित करवा दिया गया, जवकि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.08.2024 में तैयार करना बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं विधि की मंशा के विपरीत विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 29/2017 अनवान तेजा बनाम रूपा इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 अगस्त 2024 को अपास्त किया जावे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान् की सहमति से निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। तहसीलदार सिणधरी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व दिनांक 26.07.2024 को अपीलांट सहित सभी पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये थे। तहसीलदार द्वारा विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त पक्षकारान् के कब्जे काश्त को ध्यान में रखा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.08.2024 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार सिणधरी द्वारा राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट्स को सम्यक रूप से सूचित किये बिना तथा उनकी उपस्थिति सुनिश्चित किये बिना विभाजन प्रस्ताव अपीलांट्स की अनुपस्थिति में एकपक्षीय तैयार किया जाना प्रकट होता है। अपीलांट्स का कथन है कि विभाजन प्रस्ताव मौके के विपरीत एवं रास्ते का प्रावधान रखे बिना तैयार किया गया है। इस संबंध में विभाजन प्रस्ताव के साथ सलंग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार सिणधरी द्वारा सामलाती रास्ते को केवल खसरा नंबर 133 में वादी के हिस्से में रखी गई भूमि तक ही रखा गया है, उसे उक्त खेत के अंतिम छोर तक नहीं रखा गया है जो विधिसम्मत नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि विभाजन प्रस्ताव पर विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 31.07.2024 में हस्ताक्षर किये गये है तथा तहसीलदार सिणधरी द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.08.2024 को तैयार किये जाने के कथन किये गये है। उक्त तथ्यों से विदित होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव अपीलांट्स की अनुपस्थिति में अग्रिम तारीख में तैयार किया गया है तथा विचारण न्यायालय द्वारा भी अपीलांट्स को विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नियत तारीख पेशी से पूर्व निर्णय पारित किया गया गया है। विचारण न्यायालय का उक्त कृत्य गैर जिम्मेदाराना एवं विधि की मंशा के विपरीत है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारिये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 29/2017 अनवान तेजा बनाम रूपा इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 अगस्त 2024 अपास्त किय जाते है तथा मामला विचारण को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह तहसीलदार सिणधरी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना में स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्षकारान् की उपस्थिति विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर तलब किया जावे एवं उस पर विधिनुसार उभय पक्ष को आपत्ति प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार मामले में अंतिम डिक्री जारी करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश तिवाड़ी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर